झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–17.06.2025 से दिनांक–19.06.2025 तक पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिले में औचक निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–17.06.2025 से दिनांक–19.06.2025 तक पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कुपोषण उपचार केन्द्रों आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही इन जिलों के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

पश्चिमी सिंहभूम जिला

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–17.06.2025**

- ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

  - दिनांक–17.06.2025 को जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री गुप्तेश्वर शुक्ला, अनुज्ञप्ति सं0–01/2018, वार्ड नं0–18, न्यू कॉलोनी, टुँगरी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में राशन डीलर के दुकान पर सूचना पट्ट अंकित पाया गया। ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची के सम्बन्ध में पूछने पर डीलर द्वारा बताया गया कि मशीन का रोलर खराब होने के कारण पर्ची नहीं निकल पा रहा है। उक्त क्षेत्र के लाभुकों से राशन वितरण के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा पूरा राशन मिलने एवं डीलर से कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

  - जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री ताकेश्वर शुक्ला, अनुज्ञप्ति सं0–125/85, चाईबासा नगर पालिका का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में राशन डीलर के दुकान पर सूचना पट्ट अंकित पाया गया। क्षेत्र के लाभुकों द्वारा ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची मिलने की बात कही गई। आयोग के समक्ष लाभुक द्वारा ई–पॉस मशीन में अंगूठा लगाया गया एवं राशन डीलर द्वारा पर्ची निकाल कर दिखाया गया। लाभुकों से राशन वितरण के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा पूरा राशन मिलने एवं डीलर से कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। डीलर द्वारा शाम तक दुकान खुला रखा जाता है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

  - जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री विजय कुमार पाल, अनुज्ञप्ति सं0–02/2017, चाईबासा नगर पालिका का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में आसपास के लाभुकों

से राशन वितरण के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा पूरा राशन मिलने की बात कही गई। क्षेत्र में इन्टरनेट की समस्या है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- *<u>कुपोषण उपचार केन्द्र</u>*
    - दिनांक–17.06.2025 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को भर्ती कराया जाता है। उक्त कुपोषण उपचार केन्द्र में 20 बच्चों की क्षमता है एवं आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बेड लगा कर 30 की संख्या तक बच्चों को भर्ती किया जाता है। केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा उनके बच्चों का सही तरीके से ईलाज होने एवं समय पर भोजन मिलने की बात बताई गई। निरीक्षण के क्रम में ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि आवंटन की कमी के कारण बच्चों की माताओं को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आवंटन मिलते ही बच्चों की माताओं को भुगतान कर दिया जाएगा। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **समीक्षात्मक बैठक, पश्चिमी सिंहभूम।**

- दिनांक–17.06.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक परिसदन भवन, पश्चिमी सिंहभूम में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे पश्चिमी सिंहभूम जिले की जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान अंचल अधिकारी–सह–प्रभारी पणन पदाधिकारी, कुमारडूँगी द्वारा बताया गया कि कुछ पंचायतों के गाँव में इन्टरनेट की समस्या के कारण राशन वितरण में काफी परेशानी होती है। राशन वितरण के लिये ई–पॉस मशीन लेकर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गुदड़ी प्रखण्ड में इन्टरनेट की समस्या है, जिसके कारण E-KYC में काफी पीछे है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सोनुवा एवं गोइलकेरा प्रखण्डों में गोदाम नहीं है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आनन्दपुर में गोदाम है, किन्तु शुरू नहीं हुआ है। मनोहरपुर के गोदाम से अनाज भेजा जाता है, जो कि 30–40 कि0मी0 की दूरी पर है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गांगदा पंचायत के चुरगी गाँव हाथी एवं सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र के राशन डीलर निलंबित हैं एवं उसके कार्डधारियों को बगल वाले राशन डीलर के साथ टैग कर दिया गया है, किन्तु वहाँ इन्टरनेट उपलब्ध नहीं है। पहले वाला डीलर ऑफलाईन था लेकिन कार्डधारियों को जिस डीलर के साथ टैग किया गया है, वह ऑनलाईन मोड में है, जबकि इन्टरनेट शून्य है एवं लगभग दो वर्ष तक राशन वितरण नहीं हो पाया है। उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से विभाग को पत्र लिखा गया कि डीलर को ऑनलाईन से ऑफलाईन किया जाए। डीलर ऑफलाईन हो गया है लेकिन आज भी दो वर्ष का आवंटन नहीं आया है। इससे लाभुक दो वर्ष के अनाज से वंचित हैं।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि झिंकपानी प्रखण्ड के गोदाम का रख–रखाव एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता है।
- परिसदन भवन, पश्चिमी सिंहभूम में सिविल सोसाईटी के कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी गई। सिविल सोसाईटी के लोगों द्वारा बताया गया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत खूंटपानी प्रखण्ड के मटकोबेड़ा एवं पंडरासाली गाँव के रेलवे स्टेशन के बगल में FCI गोदाम एवं रेलवे स्टेशन के पीछे FCI गोदाम से सटा कर रूंगटा माईंस के द्वारा वर्तमान में कोयला डस्ट एवं भविष्य में मिट्टी वगैरह भी गिराने का प्लानिंग किया जा रहा है। इससे आसपास के खेतों के साथ गोदाम में रखे अनाज खराब होने की संभावना है। इस कारण प्रभावित गाँव वालों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा लिखित रूप में पत्र देने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग स्तर से विभाग से पत्राचार किया जा सके।

सरायकेला–खरसावाँ जिला

❖ स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–18.06.2025

- *जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–*
  - दिनांक–18.06.2025 को जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री राघव प्रसाद साहु, अनुज्ञप्ति सं0–67/86 जिला–सरायकेला–खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आसपास के लाभुकों से राशन वितरण के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा पूरा राशन मिलने की बात कही गई, किन्तु पर्ची नहीं मिलने की बात बताई गई। इस सम्बन्ध में डीलर द्वार बताया गया कि पर्ची का कागज बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। कम गुणवत्ता का कागज लगाने से कागज गल जाता है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा राशन डीलर को निर्देश दिया गया कि यदि ई–पॉस मशीन से पर्ची नहीं निकलता है या कागज गल जाता है, तो इसकी शिकायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा पणन पदाधिकारी के समक्ष करें। लाभुकों को पर्ची देना अनिवार्य है। साथ ही यदि लाभुकों को पर्ची नहीं दिया जाता है, तो वे इसकी शिकायत आयोग के समक्ष करें। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
  - जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री पी0 के0 सतपती, अनुज्ञप्ति सं0–304/85, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में दुकान के बाहर सूचना पट्ट लगा हुआ पाया गया, किन्तु सही ढंग से सूचना अंकित नहीं पाया गया। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को सूचना पट्ट अपडेट करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
  - जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री पवन कुमार साव, अनुज्ञप्ति सं0–19/2017, वार्ड नं0–3, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में ई–पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची के सम्बन्ध में पूछने पर राशन डीलर द्वारा ई–पॉस मशीन में रोलर नहीं लगे होने के कारण पर्ची का प्रिंट नहीं निकल पाने की बात बताई गई। इससे सम्बन्धित शिकायत राशन डीलर द्वारा किसी भी पदाधिकारी के समक्ष नहीं की गई। राशन दुकान के बाहर सूचना पट्ट लगा हुआ पाया गया, किन्तु जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित सूचना अंकित नहीं पाया गया। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को चेतावनी देते हुए सूचना पट्ट अपडेट करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
  - जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री अनिल कुमार रजक, अनुज्ञप्ति सं0–53/92, वार्ड नं0–8, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सूचना पट्ट लगा हुआ पाया गया, किन्तु जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित सूचना अंकित नहीं पाया गया। पर्ची के सम्बन्ध में पूछने पर राशन डीलर द्वारा पर्ची निकाल कर दिखाया गया।

आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को सूचना पट्ट अपडेट करने का निर्देश दिया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

❖ समीक्षात्मक बैठक, सरायकेला–खरसावाँ।

- दिनांक–18.06.2025 को अपराह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक परिसदन भवन, सरायकेला–खरसावाँ में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे सरायकेला–खरसावाँ जिले के अपर उपायुक्त–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं नगर निकाय के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में सर्वर की समस्या काफी ज्यादा है। इससे राशन वितरण करने में समस्या होती है। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा सुझाव दिया गया कि ई–पॉस मशीन में किसी एक सिम कार्ड की बाध्यता नहीं रखी जाए। राशन डीलर द्वारा किसी भी कंपनी की सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा सके, यह प्रावधान किया जाना चाहिए।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा सुझाव दिया गया कि पंचायत स्तर पर कम से कम एक PDS मित्र बनाया जाए, ताकि राशन वितरण की समस्या नहीं हो। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, राशन कार्ड बनाने, नाम सुधारने, डीलर बदलने आदि से सम्बन्धित कार्य के लिये जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक लॉग–इन आई0डी0 मिला है। यदि एक अतिरिक्त लॉग–इन आई0डी0 मिल जाए, तो कार्य में सुविधा एवं तेजी आएगी।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा बताया गया कि E-KYC के बाद राशन कार्ड में नाम सुधार करने में परेशानी हो रही है। राशन कार्ड में नाम एवं आधार कार्ड में नाम के अक्षरों में अन्तर होने के कारण लाभुकों को आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है। उनके द्वारा सुधाव दिया गया कि सुधार हेतु BSO के लॉग–इन में option दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

पूर्वी सिंहभूम जिला

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–19.06.2025**

- ***आंगनबाड़ी केन्द्र :–***
    - न्यू कपाली–II, कोड–156, जिला–पूर्वी सिंहभूम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कुल–22 बच्चे उपस्थित पाये गये। उपस्थित बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रतिदिन केन्द्र में खिचड़ी एवं अण्डा दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित फॉर्म के सम्बन्ध में पूछने पर सेविका–श्रीमती लिलिमा सेनापति द्वारा केन्द्र में ही लाभुकों का फॉर्म भरने की बात बताई गई। पिछले वर्ष से अब तक कुल–31 लाभुकों का फॉर्म भरा गया है। सेविका द्वारा बताया गया कि कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया जाता है। सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि केन्द्र के बाहर लोहे का बोर्ड लगा हुआ था, किन्तु किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त केन्द्र के आसपास रहने वाली गर्भवती महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है। महिलाओं को केन्द्र के माध्यम से पोषाहार भी मिलता है एवं उन्हें कोई समस्या नहीं है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दीवार लेखन करा कर योजना से सम्बन्धित जानकारी अंकित करवाने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
    - आंगनबाड़ी–सह–शिक्षा केन्द्र, कोड–20357070703 (न्यू कोड–137), न्यू कपाली बस्ती–I, सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कुल–22 बच्चे उपस्थित पाये गये। उपस्थित बच्चों द्वारा प्रतिदिन केन्द्र में खिचड़ी एवं अण्डा दिये जाने की बात बताई गई। केन्द्र में साफ–सफाई पाया गया। आसपास की धात्री माताओं द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित राशि एवं पोषाहार मिलने की बात बताई गई। उक्त केन्द्र के बच्चों एवं धात्री माताओं को कोई समस्या नहीं है।

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :–***

- टेल्को कॉलोनी, पूर्वी सिंहभूम स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र में कुल–16 बच्चे भर्ती हैं। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा बताया

गया कि वे लोग आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से अपने बच्चों को यहाँ भर्ती कराए हैं। बच्चों की माताओं द्वारा प्रतिदिन 130/– रू0 राशि एवं भोजन मिलने की बात बताई गई। निरीक्षण के क्रम में जानकारी मिली कि यदि परिवार में दो बच्चे हैं एवं एक बच्चा कुपोषित है, तो केन्द्र के लोग दोनों बच्चों को केन्द्र में लाकर उनका देखभाल करते हैं। उक्त केन्द्र सुव्यवस्थित एवं साफ–सुथरा पाया गया।

❖ **समीक्षात्मक बैठक, पूर्वी सिंहभूम।**

- दिनांक–19.06.2025 को अपराह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक परिसदन भवन, पूर्वी सिंहभूम में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे पूर्वी सिंहभूम जिले के अपर उपायुक्त–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि जिले में हरा राशन कार्ड के रिक्ति की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को लिखित रूप में पत्र देने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग स्तर से विभाग से पत्राचार किया जा सके।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सुझाव दिया गया कि यदि उन्हें राशन कार्ड बनाने/नाम जोड़ने/सुधार करने आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त लॉग–इन आई0डी0 मिल जाए, तो लंबित कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सुझाव दिया गया कि जिले में 13 पणन पदाधिकारी हैं। यदि सभी 13 पणन पदाधिकारियों को लॉग–इन में सभी option दे दिया जाए, तो प्रखण्ड स्तर पर ही मामले का निपटारा हो जाएगा। यह भी सुझाव दिया गया कि E-KYC होने के बाद राशन कार्ड में यदि कुछ सुधार करना हो, तो उसका option दिया जाए।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि E-KYC होने के बाद राशन कार्ड में किसी प्रकार का भी सुधार नहीं हो पाने के कारण काफी समस्या हो रही है।
- सम्बन्धित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के राशन डीलर को छः माह से कमीशन की राशि नहीं मिली है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम बड़ा जिला है एवं अधिकारियों की बहुत कमी है। कार्यालय स्तर पर भी स्टाफ की बहुत कमी है। इस सम्बन्ध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि DSD में 7–8 माह से पैसा नहीं मिला है।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वर्तमान में माह जून, जुलाई एवं अगस्त का राशन का वितरण हो रहा है। सर्वर की बहुत समस्या हो रही है। आग्रह किया गया कि राशन वितरण की अवधि बढ़ाने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाए।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा यह भी बताया गया कि जिले के अधिकारियों को 18 वर्ष पुरानी गाड़ी मिली है। इससे कार्य करने में बाधा होती है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि DSD का दर काफी कम है। पूरे जिले में DSD का परिचालन अधिक है। दर का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि आवंटन एवं कूकिंग कॉस्ट विलंब से आने के कारण समस्या होती है।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में बैठकों के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत

निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन भी आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।
- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि कई बार शिकायतकर्ता द्वारा राशन डीलर के विरूद्ध शिकायत करने पर उनका राशन कार्ड कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाता है अथवा कार्ड डिलिट करा दिया जाता है। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा डीलर को मनमानी करने से रोकने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रिक्ति नहीं होने के कारण राशन कार्ड में लाभुक का नाम नहीं जुड़ सकता है, किन्तु नाम हटाने के लिये दिये गये आवेदन पर विलंब नहीं किया जाए। जाँच कर नाम शीघ्र हटाया जाए ताकि अन्य लाभुक का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सके।
- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का स्थलीय जाँच करें।
- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि अपर समाहर्त्ता जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के प्रभार में होते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ यथा–जनवितरण, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित शिकायतें लाभुकों को किनके समक्ष करना है, यह उन्हें नहीं पता है। उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतें अपर समाहर्त्ता–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष करने हेतु लाभुकों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे अपने–अपने जिले के विद्यालयों में जाएँ एवं बच्चों के लिये बने भोजन को चख कर गुणवत्ता की जाँच करें।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राशन कार्ड से नाम डिलिट करने, डीलर बदलने, लिंग सुधार एवं

उम्र सुधार करने से सम्बन्धित आवेदन में विलंब नहीं किया जाए। जाँच करते हुए लाभुकों को उनके अहर्त्ता के अनुसार राशन दिलाना सुनिश्चित करें।

- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिये ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तो उस आवेदन की अद्यतन स्थिति से आवेदनकर्ता को अवगत कराएँ।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर माह प्रखण्डवार निगरानी समिति के साथ बैठक करें एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करें। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं। उनके साथ बैठक कर उन्हें सम्बन्धित योजनाओं से अवगत कराएँ एवं उनसे सुझाव भी मांगे।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अयोग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड सरेंडर कराएँ एवं योग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाएँ।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित तीनों जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने–अपने प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या

द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ।

इसके साथ पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिला भ्रमण समाप्त हुआ।

26.6.25

(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

1. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री गुप्तेश्वर शुक्ला, अनुज्ञप्ति सं0—01/2018, वार्ड नं0—18, न्यू कॉलोनी, टुँगरी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम का स्थलीय निरीक्षण।

2. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री ताकेश्वर शुक्ला, अनुज्ञप्ति सं0—125/85, चाईबासा नगर पालिका का स्थलीय निरीक्षण।

3. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री विजय कुमार पाल, अनुज्ञप्ति सं0—02/2017, चाईबासा नगर पालिका का स्थलीय निरीक्षण।

4. पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण।

5. परिसदन भवन, पश्चिमी सिंहभूम में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

6. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री राघव प्रसाद साहु, अनुज्ञप्ति सं0–67/86 जिला–सरायकेला खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण।

7. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री पी0 के0 सतपती, अनुज्ञप्ति सं0–304/85, जिला–सरायकेला खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण।

8. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री पवन कुमार साव, अनुज्ञप्ति सं0–19/2017, वार्ड नं0–3, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण।

9. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री अनिल कुमार रजक, अनुज्ञप्ति सं0–53/92, वार्ड नं0–8, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का स्थलीय निरीक्षण।

10. परिसदन भवन, सरायकेला–खरसावाँ में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

11. न्यू कपाली–II, कोड–156, जिला–पूर्वी सिंहभूम के आंगनबाड़ी का स्थलीय निरीक्षण।

12. आंगनबाड़ी–सह–शिक्षा केन्द्र, कोड–20357070703 (न्यू कोड–137), न्यू कपाली बस्ती–I, सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम का स्थलीय निरीक्षण।

13. टेल्को कॉलोनी, पूर्वी सिंहभूम स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण।

14. परिसदन भवन, पूर्वी सिंहभूम में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।